



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 10.01.21

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन



आज दिनांक 10-01-21 को जिलाधिकारी खीरी, श्री शैलेन्द्र सिंह व पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय दुल की अध्यक्षता में अपर पुलिस अधीक्षक खीरी, समस्त क्षेत्राधिकारीगण, प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, शाखा प्रभारियों एवं अभियोजन अधिकारीगण के साथ मासिक अपराध गोष्ठी कर अपराध समीक्षा की गई।

इस दौरान लंबित विवेचनाओं का गुण-दोष के आधार पर शीघ्र निस्तारण कर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने, महिला संबंधी अपराधों को नियंत्रित करने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने, शांति अभ्यस्त अपराधियों को चिन्हित कर उनकी हिस्ट्रीशीट खोलने, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करने, जनशिकायतों की त्वरित व निष्पक्ष जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने, अवैध शराब के विरुद्ध निरंतर अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करने, जमीनी विवादों के संबंध में सतर्कता रखने व इसकी रिपोर्ट राजस्व अधिकारियों को प्रेषित करने, अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के शस्त्र निरस्तीकरण की रिपोर्ट देने, आईजीआरएस के आवेदकों से स्वयं वार्ता करके फीडबैक लेने, पीआरवी वाहनों की रैंडम चेकिंग कर उनकी सतर्कता का निरीक्षण करने तथा आगामी पंचायत चुनाव के दृष्टिगत आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ करने के संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए।

साथ ही सैनिक सम्मेलन करके पुलिसकर्मियों की व्यक्तिगत/विभागियों समस्याओं की जानकारी की गई तथा संज्ञान में आए प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को भी अपने अधीनस्थ नियुक्त पुलिसकर्मियों की मासिक गोष्ठी कर उनकी समस्याओं का निस्तारण करने के संबंध में निर्देश दिए गए।

थाना ईसानगर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित एवं 10,000 रुपये का इनामिया अभियुक्त संदीप पुत्र श्रीधर को अवैध शस्त्र कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान के दौरान आज दिनांक 10.01.21 को थाना ईसानगर पुलिस द्वारा बेहटा चौराहे से मु0अ0सं0 623/20 धारा 2/ 3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट, थाना धौरहरा में वांछित व 10,000 रुपये का इनामिया अभियुक्त संदीप उर्फ चरञ्जू पुत्र श्रीधर निवासी चिकवनपुरवा मजरा समरदाहरी थाना ईसानगर खीरी को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त को अग्रिम कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय भेजा गया है।

अवैध शराब के विरुद्ध की गई बड़ी कार्यवाही, 180 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, करीब 4000 लीटर लहन भी

नष्ट

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान आज दिनांक 10.01.2021 को क्षेत्राधिकारी निघासन, श्री प्रदीप कुमार वर्मा के नेतृत्व में थाना तिकुनिया पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए ग्राम चकरपुर से अवैध शराब बनाते हुए 03 अभियुक्तों गुरमीत सिंह, मंगत सिंह व गुरदीप सिंह निवासीगण ग्राम चकरपुर थाना तिकुनिया जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही मौके से 180 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर करीब 4000 लीटर लहन भी नष्ट किया गया है। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना तिकुनिया पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना पलिया पुलिस द्वारा अवैध तमंचा, कारतूस व चरस सहित अभियुक्त बरकत अली को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध मादक पदार्थों एवं शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना पलिया पुलिस द्वारा अभियुक्त बरकत अली उर्फ सूफी पुत्र रहमत अली नि0 मोहल्ला पठान 4 थाना पलिया खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर एवं 550 ग्राम चरस बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र कारतूस सहित अभियुक्त नजर मोहम्मद को किया गया गिरफ्तार



प्रेस नोट

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद लखीमपुर द्वारा चलाये गये अवैध शस्त्र बरामदगी अभियान के अन्तर्गत दिनांक 10/01/2021 को समय 06.35 बजे थाना हैदराबाद के उ०नि० महेन्द्र प्रताप यादव व का० भवानी सिंह के द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान मजरिया एच०एस० नजर मोहम्मद उर्फ नजरू पुत्र लाल मोहम्मद निवासी ग्राम हैदराबाद थाना हैदराबाद जिला खीरी को वहद ग्राम हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है। अभि० नजर मोहम्मद उर्फ नजरू उपरोक्त के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व एक अदद कारतूस 315 बोर जिन्दा अवैध शस्त्र बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना हैदराबाद पर मु.अ.सं.06/2021 धारा 3/25 A ACT पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का विवरण:-

नजर मोहम्मद उर्फ नजरू पुत्र लाल मोहम्मद निवासी ग्राम हैदराबाद थाना हैदराबाद जिला खीरी।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ०नि० महेन्द्र प्रताप यादव थाना हैदराबाद जनपद खीरी।
2. का० भवानी सिंह थाना हैदराबाद जनपद खीरी।

थाना नीमगांव पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में समाज विरोधी क्रिया कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना नीमगांव पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 04 अभियुक्तों 1. रूखसार पुत्र हफीक 2. मंसूर अली पुत्र कल्लू 3. इरशाद पुत्र हफीक नि0गण भूलनपुर थाना नीमगांव खीरी 4. प्रमोद कुमार पुत्र सुमेर चन्द्र तिवारी नि0 पड़री नि0 फरधान खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को कब्जे से कुल 3700 रू0 नगद व 52 अदद ताश के पत्ते बरामद किए गए। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

- थाना पलिया पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 4/21 धारा 3/5/8 गोवध अधि० में वांछित अभियुक्तगण 1. गुड्डू पुत्र इस्माइल नि० वार्ड न० 12 कस्बा मैलानी 2. नसीम पुत्र महीफुल्ला खां नि०गण वार्ड नं० 12 कस्बा व थाना मैलानी खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 499/20 धारा 379/411 भादवि० व 1220/20 धारा 41/411/379/413/414 भादवि० में वांछित अभियुक्त मोहित श्रीवास्तव पुत्र वीरेन्द्र नि० पिपरिया थाना कोतवाली सदर खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना मैलानी पुलिस द्वारा अ०सं० 285/15 धारा 323/376 भादवि० में वारंटी अभियुक्त विक्रम पुत्र फेकूलाल नि० खैरताली थाना मैलानी खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अ०सं० 3477/11 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट में वारंटी अभियुक्त अवधेश पुत्र सियाराम नि० भेसटिया थाना कोतवाली सदर खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अ०सं० 16/18 धारा 8/18/22 एनडीपीएस एक्ट में वारंटी अभियुक्त चिम्पू उर्फ अंकित पुत्र सियाराम नि० भेसटिया थाना कोतवाली सदर खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा अ०सं० 826/14 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट में वारंटी अभियुक्त अभिषेक पुत्र विनायक नि० बगिया थाना तिकुनिया खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना पसगवां पुलिस द्वारा अ०सं० 403/20 धारा 60 आब० अधि० में वारंटी अभियुक्तगण 1. मुनेश्वर पुत्र रामभरोसे नि० करमुलिया थाना पसगवां खीरी को गिरफ्तार किया गया।

- थाना पलिया पुलिस द्वारा अ०सं० 89/18 धारा 363/366/376 भादवि० व 7/8 पाँक्सो एक्ट में वारंटी अभियुक्त दौलताराम पुत्र घनश्याम नि० मझगई थाना पलिया खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना निघासन पुलिस द्वारा अ०सं० 264/12 धारा 307 भादवि० में वारंटी अभियुक्त मकसूद पुत्र मलालू नि० पठानन पुरवा थाना निघासन खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना निघासन पुलिस द्वारा अ०सं० 317/18 धारा 323/354/504/506 भादवि० 7/8 पाँक्सो एक्ट में वारंटी अभियुक्त सुशील पुत्र सौदागर नि० मुर्दाहा थाना निघासन खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना धौरहरा पुलिस द्वारा अ०सं० 39/2001 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट में वारंटी अभियुक्त रामसेवक पुत्र मनोहर लाल नि० सहबाजपुर थाना धौरहरा खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा अ०सं० 221/19 धारा 128 भादवि० में वारंटी अभियुक्त दयाराम पुत्र रामभजन नि० कल्हारापुर थाना मोहम्मदी खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा अ०सं० 114/17 धारा 363/366 भादवि० व 3(2)1 एससी एसटी एक्ट व 4/17 पाक्सो एक्ट में वारंटी अभियुक्त सूरज पुत्र श्रीराम नि० मीलपुरवा थाना फूलबेहड़ खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना गोला पुलिस द्वारा अ०सं० 381/10 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट में वारंटी अभियुक्त सुरजनलाल पुत्र बुलाकी वर्मा नि० हफीजपुर थाना गोला खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना गोला पुलिस द्वारा अ०सं० 1541/06 धारा 60,62 आब०अधि० में वारंटी अभियुक्त पप्पू पुत्र रामप्रसाद नि० रसूलपुर थाना गोला खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **183 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर 14 अभियुक्तों को गिरफ्तार** किया गया है। विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना सिंगाही	88 लीटर	05 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना तिकुनिया	25 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना मितौली	20 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	थाना भीरा	20 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
5.	थाना निघासन	20 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
6.	थाना मैगलगंज	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	183 लीटर	14 अभियुक्त गिरफ्तार